

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 1973/फाल्गुन 18, 1894

No. 84] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 1973/PHALGUNA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, 9th March 1973

S.O. 131(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 772, dated the 11th March, 1966, read with the Order of the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1085, dated the 10th March, 1971, the management of the industrial undertaking known as the Aurangabad Mills Limited, Aurangabad, had been taken over by the Authorised Controller referred to therein for a period of seven years up to and inclusive of the 10th March, 1973;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 10th March, 1975.

[No. F. 28013/31/73-TEX(G).]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1973

का० आ० 131 (अ).—यत् भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 772, दिनांक 11 मार्च, 1966 द्वारा और भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 1085, दिनांक 10 मार्च, 1971 के साथ पठित, औरंगाबाद मिन्स लिमिटेड, औरंगाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा सात वर्षों की अवधि के लिए 10 मार्च, 1973 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था।

और यत्: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक-हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण दो वर्ष की अवधि के लिए और बना रहना चाहिए।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उपरिर्वाणित आदेश का प्रभाव 10 मार्च, 1975 तक के लिये जिसमें यह तारीख भी शामिल है और बना रहेगा।

[सं० फा० 28013/31/73—टेक्स(जी)]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।